International Journal of Information Movement Vol.6 Issue II (June 2021)
Website: www.ijim.in ISSN: 2456-0553 (online) Pages 14-20

डॉ. अम्बेडकर और प्रजातंत्र

समशेर सिंह
email: sssingh76@yahoo.com

भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर 20वीं सदी के उन आधुनिक चिंतकों में से एक है जिन्होंने समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ. अम्बेडकर सामाजिक सुधारक होने के साथ–साथ एक अर्थशास्त्री, संविधान निर्माता, कानूनविद् एवं शिक्षाशास्त्री थे। उनका सम्पूर्ण जीवन सदियों से उत्पीड़ित, शोषित और बहिष्कृत समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए समर्पित था। उनका यह संघर्ष सामाजिक कुरीतियों और विषमताओं को समूल नष्ट कर शोषित–उत्पीड़ित दलित समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए था। अपने विविध आन्दोलनों के माध्यम से उन्होंने दलित समाज में आत्मसम्मान पैदा करने और समतामूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। व्यक्ति अपने का समय का शिशु होता है उनके विभिन्न विचारों का निर्माण तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक वातावरण के आधार पर निर्मित होता है। डॉ. अम्बेडकर के व्यक्तित्व का निर्माण भी तत्कालीन परिवेश का ही परिणाम था। उनका राजनैतिक चिंतन एवं संघर्ष तत्कालीन समाज की संरचनाओं में विद्यमान विषमता और असमानता का स्पष्ट चित्रण करता है।

प्रजातंत्र में मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता है। एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्वतन्त्रता, समानता के सिद्धांतों को लेकर चलती है यहां किसी वर्ग विशेष को कोई विशेषाधिकार प्रदान नहीं किऐ जाते बल्कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव उनके सर्वांगीण विकास के लिए एक समान अधिकारों और स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की जाती है। इस कारण डॉ. अम्बेडकर क प्रजातंत्र के प्रति काफी लगाव व आस्था थी। जबकि तात्कालिक भारतीय परिदृश्य में असमानता और भेदभाव का बोलबाला था इसलिए डॉ. अम्बेडकर ऐसी सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर लोकतांत्रिक मूल्यों पर उसकी संरचना के पक्षधर थे क्योंकि यदि ऐसी जातिगत मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में यदि एक व्यक्ति, एक मत का प्रावधान कर भी दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसके लिए जरूरी था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित समाज और देश की नवीन संस्थाओं और संरचनाओं का निर्माण करना।

डॉ. अम्बेडकर प्रजातंत्र के विषय में लिखते हैं कि प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप और प्रणाली है जिसमें लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन रक्तपात के बिना सम्भव हो सकता है।[i] इसके साथ–साथ डॉ. अम्बेडकर इस बात पर विशेष जोर दिया करते थे कि लोकतांत्रिक शासन की स्थापना से पूर्व लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। यदि समाज का निर्माण स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर नहीं किया जाता है तो प्रजातंत्र के औपचारिक ढांचे का कोई महत्व नहीं रह जाता।[ii] जब तक सामाजिक स्तर पर लोकतंत्र के मूल्यों की स्थापना

नहीं की जाती है तब तक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था केवल समाज के सबल वर्ग का प्रतिनिधित्व करती रहेगी और वास्तविक लोकतांत्रिक शासन मात्र स्वप्न बन कर रहा जाऐगा। इसलिए डॉ. अम्बेडकर इस बात पर जोर देते थे कि लोकतंत्र शासन तंत्र नहीं है, यह वास्तव में समाजतंत्र ही है और इस समाजतंत्र में दो विशेषताएं जरूरी है– पहली मनोवृति और दूसरी सामाजिक संगठन[iii] जहां एक तरफ समाज के सभी लोग एक–दूसरे के प्रति समानता और आदर का भाव रखेंगे वहीं दूसरी तरफ एक सामाजिक संगठन पूर्णतः कठोर सामाजिक बंधनों से मुक्त होगा क्योंकि सामाजिक विषमताओं और भेदभाव लोगों के मध्य विभेद पैदा करता है और ऐसी प्रवृति लोकतंत्र के मूल्यों के पूर्णतः विपरीत होती है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, प्रजातंत्र संगठित रूप से रहने का एक ढंग है। जनतंत्र की जड़ें, जो लोग संगठित रूप से समाज का निर्माण करते हैं।[iv] उनके ही सामाजिक संबंधों में मिलती है। उनका पूर्ण विश्वास था कि निर्धनता, अशिक्षा और जातीय भेदभाव जनतांत्रिक व्यवस्था के वास्तविक शत्रु है। इसका समाधान का मात्र एक साधन है कि भारतीय समाज के निम्न वर्गों को शिक्षा प्रदान करे जो जाति व्यवस्था का अन्त चाहते हैं, तो जाति व्यवस्था जड़ से समाप्त हो जाएगी।[v]

प्रजातंत्र पर अपने विचारों को विस्तृत रूप देते हुऐ डॉ. अम्बेडकर प्रजातंत्र को समाज के वांछित समाज का उत्थान करने वाले साधन के रूप में देखते थे। इसके साथ–साथ वे इस बात पर भी जोर देते थे कि प्रजातंत्र का अर्थ मात्र चुनाव करना है, सरकार का निर्माण और उसका विरोध करना नहीं है, प्रजातंत्र अपने आप ऐसी व्यवस्था है जो समाज की प्रत्येक ईकाई में परिलक्षित होनी चाहिए इसलिए डॉ. अम्बेडकर तीन बातों पर ज्यादा जोर देते थे।[vi]

1. सरकार और समाज अलग–अलग नहीं वरन् एक ही ईकाई के दो पहलू है। सरकार समाज से अलग नहीं है। सरकार अनेक ऐसी संरचनाओं में से एक है जो समाज में जन्म लेती है और सामूहिक सामाजिक जीवन के लिये उसे कुछ आवश्यक कार्य एवं शक्ति का हस्तांतरण किया जाता है।
2. दूसरा, सरकार किसी समाज के अंतिम लक्ष्य, उद्देश्यों और आकांक्षाओं की ही प्रतिबिम्ब होती है और यह तभी सम्भव है जब समाज जिसमें कि वह सरकार है, उसकी बुनियाद प्रजातांत्रिक मूल्यों पर स्थापित हो अतः सरकार के प्रजातांत्रिक होने के लिए आवश्यक है कि समाज का स्वरूप भी प्रजातांत्रिक हो, अन्यथा इसके अभाव में सरकार पर वर्ग विशेष का आधिपत्य हो जायेगा और वह मात्र उनके हितों की पूर्ति का साधन बन कर रह जाऐगी। ऐसी स्थिति में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती, अधिनायकवादी या शोषणकारी व्यवस्था अवश्य हो सकती है।
3. तीसरे, किसी भी सरकार का प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक होना, उसकी प्रशासनतंत्र पर काफी हद तक निर्भर करता है, विशेषकर प्रशासनिक सेवाओं पर, जिसके माध्यम से सरकार कानून–व्यवस्था को नियोजित व संचालित करती

है और प्रशासनतंत्र का परिवेश यदि अप्रजातांत्रिक होगा तो निश्चित ही सरकार का स्वरूप भी प्रजातांत्रिक नहीं होगा। इसलिए डॉ. अम्बेडकर इस बात पर जोर देते थे कि समाज और सरकार अलग–अलग नहीं वरन् एक ही है, यदि सामाजिक संरचना का निर्माण प्रजातांत्रिक मूल्यों पर न हो तो प्रजातंत्र भी स्थापित नहीं हो पाऐगा।

इसके साथ–साथ प्रजातांत्रिक सरकार को संचालित और नियमित करने के लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपना लेना ही काफी नहीं है इसके लिए इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि अच्छी सरकार का चयन किया जाए और अच्छी सरकार का मूल मंत्र है 'अच्छे कानून और अच्छे प्रशासन'[vii] की उपस्थिति। क्योंकि इसके अभाव में शासक सत्ता का प्रयोग अपने और अपने समुदाय को हितों की पूर्ति में करेगा और सम्पूर्ण समाज के हितों की अनदेखी की जाएगी इसलिए अच्छी सरकार का होना भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य शर्त है।

डॉ. अम्बेडकर इन प्रजातांत्रिक मूल्यों को व्यवहार में धरातल पर उतारने वाले व्यावहारिक पक्ष को अधिक महत्व देते थे। मात्र प्रजातांत्रिक सरकार और व्यवस्था की बात करना, उनका समर्थन करने से परिवर्तन नहीं होता उसे व्यावहारिक रूप से लागू भी किया जाना चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम जनतंत्र को जीवन संबंधों के मुख्य सिद्धांत के रूप में सरकार से समाप्त न होने दे, हमारा उसमें अटूट विश्वास होना चाहिए और यदि कोई जनतंत्र के विरूद्ध खड़ा है उसके प्रजातांत्रिक मूल्यों (स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व) को खत्म करना चाहता तो हमें उसके विरूद्ध खड़े होकर इन मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है, न कि विरोधी तत्वों का साथ देना है।[viii]

डॉ. अम्बेडकर लिखते हैं कि 'प्रजातंत्र एक राजनीतिक तंत्र और सामाजिक प्रणाली से भी आगे ऊपर की चीज है। यह मस्तिष्क की प्रवृति और जीवन दर्शन है। 'समानता और स्वतंत्रता' प्रजातंत्र के अभिन्न अंग है। इसलिए समानता और स्वतंत्रता की सुरक्षा करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन इसके लिए कुछ अन्य तत्वों व कारकों का होना भी अनिवार्य है। जैसे 'भ्रातृत्व'। फ्रांस की राज्यक्रांति में भी स्वतंत्रता, समानता के साथ–साथ भ्रातृत्व को शामिल किया गया था। बिना भ्रातृत्व के स्वतंत्रता समानता को नष्ट कर देगी और समानता स्वतंत्रता को। इसलिए भ्रातृत्व लोकतंत्र का आधार है। बुद्ध ने इसकी जगह 'मैत्री' शब्द का प्रयोग किया है। डॉ. अम्बेडकर भी इसी भ्रातृत्व की भावना के आधार प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। प्रजातंत्र को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि प्रजातंत्र को सभी की समान समपत्ति के समान होना चाहिए, न कि कुछ व्यकित या वर्ग विशेष की। इसी आधार पर प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत किया जा सकता अन्यथा यह अन्याय का साधन भी हो सकता है।[ix]

प्रजातंत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए और कैसे उसे अधिक से अधिक प्रजातांत्रिक मूल्यों पर स्थापित किया जा सकता है। इस विषय में डॉ. अम्बेडकर इसके चार आधारस्तम्भों की भी चर्चा करते हैं।[x]

1. व्यक्ति अपने–आप में एक साध्य मात्र है।
2. व्यक्ति को कुछ अहरणीय अधिकारों की प्राप्ति होती है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसे संविधान के द्वारा दी जाती है।
3. किसी व्यक्ति को अगर कुछ विशेषाधिकार प्रदान किऐ जाते हैं तो इसकी शर्त यह नहीं होगी कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों का परित्याग करे।
4. राज्य जनता पर शासन करने के लिए किसी भी गैर–सरकारी अधिकारी या वर्ग विशेष लोगों को शक्तियां हस्तांतरित नहीं करेगा।

लोकतंत्र के विभिन्न आधार स्तंभों के उल्लेख के साथ–साथ लोकतंत्र को कैसे सफल बनाया जाता है? कैसे प्रजातंत्र के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन स्थापित कर स्वतंत्रता और समानता को स्थापित किया जा सकता है? इस विषय पर डॉ. अम्बेडकर चिंतन करते है। और विभिन्न लेखों व पुस्तकों में इस विषय पर कुछ ऐसे संदर्भ उभरकर सामने आते हैं जिसमें डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन करते हैं।

1. **विषमता का अभाव :** लोकतंत्र की सफलता आवश्यक है कि उस सामाजिक व्यवस्था में किसी भी तरह का भेदभाव व असमानता का व्यवहार होना नहीं चाहिए। वो समाज पूर्णतः विषमतामुक्त होना चाहिए। शासक और शासित वर्गों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि समाज के एक वर्ग के पास शक्ति का केन्द्रीयकरण और दूसरा सभी तरह के कर्तव्यों के पालन में लगा रहे। समाज में इस तरह का विभाजन लोकतंत्र के लिए घातक है। तथा ऐसे समाज में हिंसात्मक क्रांति के बीज पनपते हैं। जो लोकतंत्र की अवनति का कारण बन सकते हैं लिंकन का उल्लेख करते हुए डॉ. अंबेडकर लिखते हैं उन्होंने भाषाण में एक बार कहा था कि 'स्वयं के विरूद्ध विभाजित घर खड़ा नहीं रह सकता। जिसकी व्याख्या करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि वर्ग–2 के मध्य जो विभेद है, वह वर्ग संघर्ष है और वह लोकतंत्र की सफलता को अवरुद्ध करता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में दलित व पीड़ित वर्ग के अधिकार छीन लिये जाते हैं, और शक्ति का केन्द्रीकरण एक वर्ग विशेष के हाथों में हो जाता है, जिसका प्रयोग को अपने हितों की पूर्ति के लिए करता है। समान मतदान का अधिकार अर्थहीन हो जाता है। और यदि समय रहते सुरक्षित वर्ग स्वेच्छा से अपने विशेषाधिकारों का त्याग नहीं करता तो समाज में वर्ग विभाजन और अधिक बढ़ता चला जाता है। और ऐसा होना लोकतंत्र के विनाश और राजतंत्र को जन्म देने का कारण बन सकता है। ऐसी व्यवस्था में सामाजिक विषमता, वर्ण की असमानता का संचार हो जाता है।[xi] और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्श वर्ग विशेष की तानाशाही के आगे घुटने टेक देते हैं अर्थात् लोकतंत्र मर सा जाता है।

(2) विरोधी पार्टियों का अस्तित्व

डॉ. अम्बेडकर का पूर्व विश्वास था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों का होना अनिवार्य है क्योंकि सत्ता पर नियंत्रण तो किसी एक दल का

होता है लेकिन उस सत्ताधारी दल पर नियंत्रण और अंकुश रखने के लिए वहां विपक्षी दलों का भी होना जरूरी है। लोकतंत्र, वंश परम्परा, सत्ता और तानाशाही के विपरीत राजनीतिक व्यवस्था है लोकतंत्र का अर्थ यही है कि सत्तारूढ़ दल की तानाशाही व निरंकुशता पर नियंत्रण। राजतंत्र में राजा की सत्ता पर ऐसे नियंत्रण का प्रायः अभाव पाया जाता है। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता पार्टी को पांच साल में पुनः जनता के बीच चुनावों के लिए जाना होता है उस समय जनता स्वयं उनकी सफलताओं और असफलताओं का मूल्यांकन करती है, यही सत्ता पर नियंत्रण है। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि इस पंचवर्षीय नियंत्रण के कारण सच्चा लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती है। लोकतंत्र में राज्य की सत्ता पर नियंत्रण सतत और सदैव बना रहना चाहिए। विरोधी पार्टियों के अस्तित्व के करण सत्तारूढ़ पार्टी के कामकाज की जांच करने, उसे नियंत्रित करने की व्यवस्था होती है, ताकि सरकार की निरंकुश एवं तानाशाही प्रवृति पर अंकुश लगाया जा सके। दूसरे शब्दों में कहे तो विपक्ष पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के प्रहरी के रूप में भूमिका निभाती है।[xii]

(3) विधि और प्रशासन की समानता

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार लोकतंत्र की सफलता की तीसरी मुख्य शर्त है वैधानिक और कामकाज विषय के क्षेत्र में पालन की जाने वाली समानता। एक अच्छी समाज व्यवस्था के संरक्षण में लिए वैधानिक तत्वों का होना भी अनिवार्य है क्योंकि समाज में विभिन्न तत्वों का समावेश होता है, विघटनकारी तत्वों पर कानून के माध्यम से ही पाबंदियां लगाई जा सकती है। लोकतंत्र किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि समाज के सभी लोगों के विकास व उन्नति का साधन बनता है। लोकतंत्र में विधि की समानता इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि राज्य के द्वारा सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। इसके साथ प्रशासन का दृष्टिकोण व व्यवहार भी एक समान व तर्कसंगत होना चाहिए, प्रशासन तंत्र की विफलता, समाज में वर्चस्व वाली राजनीति को जन्म दे सकती है जो लोकतंत्र की सफलता में बाधक बन सकती है।[xiii]

(4) संविधानात्मक नीति का पालन

डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि संविधान कानूनों के प्रावधानों और सिद्धांतों का ढांचा मात्र होता है। इस ढांचे को आवश्यक रक्त–मांस संवैधानिक नीतियों के पालन व अनुसरण से मिलती है।[xiv] अर्थात् यहां पर संवैधानिक नियमों, कानूनों और सिद्धांतों के निष्ठापूर्वक पालन की बात की जा रही है। जनता का संविधान और उसके सिद्धांतों में न केवल विश्वास होना चाहिए बल्कि उनके पालन के लिए उन्हें तत्पर होना चाहिए ताकि संविधान के माध्यम से समाज में समानता व स्वतंत्रता स्थापित करने के साथ, सभी लोगों को न्याय की समान रूप से प्राप्ति हो सके इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उल्लेख करने मात्र से लोकतंत्र सफल नहीं होता

इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि समाज का प्रत्येक वर्ग चाहे अल्पसंख्यक क्यों न हो, संवैधानिक प्रावधानों और अधिकारों का पालन करने के लिए स्वतंत्र हो, लोगों में शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से लोगों में अनेक भिन्नताएं हो सकती है लेकिन इससे

लोकतंत्र का मार्ग अवरोधक नहीं होता है। इसलिए समानता को व्यावहारिक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए अन्यथा समाज के सक्षम और अमीर व्यक्ति ही प्रगति कर पाएंगे और निर्धन व शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग, निर्धन व शोषित ही बने रहेंगे। अम्बेडकर के अनुसार जनतंत्र की आत्मा एक मनुष्य, एक मूल्य के सिद्धांत में निहित है।[xv] जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक पहलू में न्यायोचित स्थान देना तथा उसमें मानसिक एवं शारीरिक कल्याण की ओर ध्यान देना, इसके बिना जनतंत्र का कोई अर्थ व महत्व नहीं रहता।

(5) नैतिक–समाज व्यवस्था

डॉ. अम्बेडकर लिखते हैं लोकतंत्र के लिए नैतिक–समाज–व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता है। नीतिशास्त्र, राज्यशास्त्र से अलग है उनके मध्य कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। नैतिकता के बिना राजनीति नहीं चलती और जो इस बात का विरोध करते हैं उनकी सोच मेरे अनुसार बहुत भयंकर और गंभीर है। लोकतंत्र का अर्थ स्वतंत्र सरकार से है, वह शासनतंत्र जिसमें अधिकाधिक सामाजिक क्षेत्र में लोगों को कानून के हस्तक्षेप के अलावा मुक्त रूप से जीवन जीना आता है और यदि कानून बनाने की जरूरत हुई तो न्यायसंगत कानूनों का निर्माण किया जाता है। अतः सामाजिक नीति के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, उसके टूट व बिखर जाने का खतरा बना रहता है।

(6) सार्वजनिक विवेक व जनमत

लोकतंत्र की सफलता के लिए सार्वजनिक विवेक व जनमत का होना अनिवार्य है। अन्याय हर देश की सामाजिक व्यवस्था में पाया है अन्तर सिर्फ अन्याय के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधनों में है। भारत में जाति व्यवस्था तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति शोषण व अन्याय का साधन बनी रही। शोषित व उत्पीड़ित समाज इस अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाता है लेकिन लोकतंत्र की सफलता के लिए इस आवाज का स्वरूप सार्वजनिक जनमत के रूप में प्रकट होना चाहिए जिसके तहत समाज का हर इंसान फिर वह उस अन्याय से पीड़ित हो अथवा न हो, अन्याय का खात्मा करने के लिए पीड़ितों के सहयोग के लिए सदैव तत्पर व तैयार रहता है। लेकिन भारत में अभी ऐसी सामाजिक चेतना का अभाव पाया जाता है। अम्बेडकर यहां चेतावनी देते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार का व्यवहार अगर निरंतर चलता रहा है और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अन्याय का मुकाबला करने के लिए यदि अन्य लोग नहीं आगे आते हैं तो फिर से क्रांति का विचार अल्पसंख्यकों के दिमाग में उत्पन्न हो सकता है। डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र एक छोटे से पौधे के समान है। सामाजिक एकता के बिना इस पौधे की जड़ें मजबूत नहीं की जा सकती। यदि सामाजिक एकता की स्थापना नहीं हो सकी तो यह लोकतंत्र का पौधा गर्मी में आए तूफान के झटके में ही उखड़ जाएगा।[xvi]

इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर लोकतंत्र को भारत की परिस्थितियों के लिए सर्वथा उचित व उपयुक्त मानते थे। उनका उद्देश्य अछूतों और शोषितों के उन मानवाधिकारों की प्राप्ति करवाना था जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी थे। तभी वह समाज जातिगत

बन्धनों से मुक्त हो सकता था। उन्होंने लोकतंत्र को समाज की ईकाई से जोड़कर वहां पर प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया ताकि सामाजिक लोकतंत्र के मूल्यों को भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित किया जा सके। उन्होंने भारतीय समाज के अप्रजातांत्रिक स्वरूप को व्याख्यायित करते हुए लिखा कि यहां लोकतंत्र केवल ऊपरी आवरण है। यह भारत में जनतंत्र का भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है। लेकिन यदि समाज के सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले और संवैधानिक नैतिकता को बनाऐ रखने का दृढ़ संकल्प करे तो हम भारत में ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था व एक ऐसी नियमित दल व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित होगी।[xvii]

References:

i सोनटक्के, यशवंत, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचार, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 178

ii वही, पृ. 178

iii वही, पृ. 178

iv कीर, धनंजय, डॉ. अम्बेडकर ऑफ एण्ड मिशन, पॉप्यूलर प्रकाशन, बम्बई, 1981, पृ. 277

v कीर, धनंजय, डॉ. अम्बेडकर ऑफ एण्ड मिशन, पॉप्यूलर प्रकाशन, बम्बई, 1981, पृ. 487

vi सोनटक्के, यशवंत, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचार, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 179

vii सोनटक्के, यशवंत, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचार, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 179

viii आल इण्डिया डिप्रेस्ड क्लासिज कॉन्फ्रेंस (तृतीय अधिवेशन), नागपुर में दिया गया भाषण, 9 जुलाई 1942

ix अम्बेडकर, डॉ. वी.आर., 'व्हाट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल्स, थैंकर एण्ड कम्पनी, बम्बई 1946, पृ. 208–209

x सोनटक्के, यशवंत, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचार, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 180

xi सोनटक्के, यशवंत, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचार, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 181

xii सोनटक्के, यशवंत, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचार, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 181

xiii सोनटक्के, यशवंत, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचार, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 182

xiv वही, पृ. 182

xv अम्बेडकर, डॉ. वी.आर., 'व्हाट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल्स, थैंकर एण्ड कम्पनी, बम्बई 1947, पृ. 35

xvi अम्बेडकर, डॉ. वी.आर., 'व्हाट कांग्रेस एण्ड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल्स, थैंकर एण्ड कम्पनी, बम्बई 1947, पृ. 186

xvii सोनटक्के, यशवंत, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचार, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 186